पत्र संख्याः-23/वि0प0-07-01/2021,सा0प्र0....780........../

**बिहार सरकार**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

प्रेषक,

**गुफ़रान अहमद,**

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

**सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,**

**पुलिस महानिदेशक, बिहार,**

**सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी,**

**सभी पुलिस उप महानिरीक्षक,**

**सभी वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक।**

**पटना-15, दिनांक**....15-1-2021

**विषयः- बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियों के पदस्थापन एवं उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-963 दिनांक 20.01.2016 द्वारा राज्य की सेवाओं में सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, परन्तु बिहार सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में अभी भी कार्यालय प्रधान के रूप में महिला पदाधिकारियों की संख्या बहुत कम पायी जा रही है। फलस्वरूप महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महिला आरक्षण के प्रावधानों का मौलिक उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है।

2. उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 955 दिनांक 15.12.2020 द्वारा **सुशासन के कार्यक्रम, 2020-2025 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (वर्ष 2020-2025)** एवं अन्य कार्यक्रमों को लागू करने तथा इसके कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने का मार्गदर्शक सिद्धांत प्रारुपित किया गया है। उक्त संकल्प में दूसरा निश्चिय **सशक्त महिला, सक्षम महिला** है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रशासन यथा पुलिस थाना, प्रखंडों, अनुमंडल एवं जिलास्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी है।

3. अतः उक्त निश्चय के बेहतर कार्यान्वयन एवं अनुपालनार्थ अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप कार्यालय प्रधान के पद पर महिलाओं की उचित भागीदारी बढ़ाने हेतु यथासंभव, कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियो को पदस्थापित करने की कृपा की जाय, ताकि महिला आरक्षण के प्रावधान का मौलिक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।

विश्वासभाजन,

14/1/2021

(गुफ़रान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

14 | Path-D:\PK\RAJ/Letter-2021.docx